fire

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःरिनु/जे0डी0/जीबीएन–14(गाजि)/10 दिनांकःजनवरी 17 2014

सेवा मे,

प्रबन्धक,
मैसर्स फैन्ड लैण्ड डवलपर्स,
17 किरन एन्क्लैव, निकट होटल शर्मा,
जी0टी0 रोड, गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स फैन्ड लैण्ड डवलपर्स, 17 किरन एंन्कलैव नियर होटल शर्मा जी0टी0 रोड गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन ग्रुप हाऊसिंग भवन के टावर न0–4 से 12 तक एवं 30 से 32 तक 12 टावरों जनपद गाजियाबाद मे निर्मित आवासीय भवन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वार्षिक नवीनीकरण वर्ष 2014–15 हेतु निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हिण्डन साहिबाबाद गाजियाबाद से कराया गया तो उनकी आख्याः भ–18/एफ0एस0–हिण्डन–2013, दिनांकः 30–12–2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपनी संस्तुति आख्या भ–100/सीएफओ–गा0बाद/2013 दिनांकः 07–01–2014 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन को निर्गत पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण– पत्र संख्याः एफएस–68/2011 दिनांकः 31–07–2012 के द्वारा कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–87,330.00 वर्ग मी0 है।

2–टावर–4,5,6,7,8,9,10,11,12,30,31, एवं 32 कुल 12 टावर।

3–ऊँचाई–30 मीटर।

भवन का अधिभोगः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की आवासीय भवन श्रेणी ए–4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐं:–

1–**हुँच मार्ग–** भवन के सामने 45 मी0 चौडा रोड मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2–प्रवेश द्वार– प्रश्नगत भवन के प्रवेश द्वार की चौडाई 04.50 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3–सैटबेक– प्रश्नगत भवन के टावरो के चारो और 06 मीटर मोटरेबुल सैटबेक उपलब्ध है, उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

4–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन मे 02 स्टेयरकेश जिनकी चौडाई 1.50 एवं 1.25 मी0 उपलब्ध है, तथा समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स एन0बी0सी0 मानक के अनुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफ्यूज एरियाः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक फलैट पर बालकनी उपलब्ध है, जो रिफयूज एरिया हेतु एन0बी0सी0 के अनुसार अनुमन्य है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित पायी गयीः–

1–होजरीलः–प्रश्नगत प्रत्येक भवन मे होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 मानक के अनुसार उपलब्ध है।

2–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 लीटर स्थापित है।

3–टेरिस पम्पः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पीएम0 स्थापित है।

4–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय

...ुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–प्रश्नगत भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानकों के अनुसार ...ापित है।

...–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

7–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता के आधार पर वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैः–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4– भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी हिण्डन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।